

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 62] नई दिल्ली, बुध्वस्तिवार, मार्च 26, 1970/चैत्र 5, 1892

No. 62] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 26, 1970/CHAITRA 5, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग्न संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue & Insurance)

NOTIFICATIONS

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 26th March 1970

G.S.R. 516.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance). No. 46/70-Central Excises, dated the 1st March, 1970, namely:—

In the Table below the said notification, for the entry under column (3) against Serial No. 2, the entry "Aluminium, in any crude form (including ingots, bars, blocks, slabs, billets, shots and pellets) and castings" shall be substituted.

[No. 74/70/F. No. B.22/10/70-CX.11.]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 26 मार्च 1970

सां. कां. निं. 516 :—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार, के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं. 46/70-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1970 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के नीचे की सारणी में क्रम सं. 2 के सामने स्तंभ (3) के नीचे की प्रविष्टि के स्थान पर, "किसी भी अनगढ़ रूप में एल्युमिनियम (जिसमें सिल्लियां, छड़े, ब्लाक, पटिया, बिलट, छर्रे और गोलियां सम्मिलित हैं) और ठली वस्तुएं" प्रविष्टि प्रति स्थापित की जाएगी।

[सं. 74/70/फा. सं. बी. 22/10/70-सी. एक्स 11]

G.S.R. 517.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts plates, sheets, circles, strips and foils in any form or size of Copper and Copper Alloys, or Zinc, produced in Ordnance factories belonging to the Central Government and intended for consumption by the Ordnance factories or for supply to Central Government Departments, from the whole of the duty of excise leviable thereon.

[No. 75/70/F. No. B.40/1/70-CX.II.]

E. R. SRIKANTIA, Dy. Secy.

सां. कां. निं. 517 :—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय सरकार के आर्डनेन्स कारखाने में उत्पादित और आर्डनेन्स कारखानों द्वारा उपभोग के लिए या केन्द्रीय सरकार के विभागों को प्रदाय करने के लिए आशयित तांबे और तांबे की मिश्रधातु या जस्ते की किसी भी रूप या आकार में पट्टियों, चादरों, सर्किलों, पट्टियों या पन्तियों को एतद्द्वारा उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

[सं. 75/70/फा. सं. बी. 40/1/70 सी. एक्स. 11]

ई० आर० श्रीकन्तीया,
उप सचिव।